फर्द अहकाम

बनाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

20/14

क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/4/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता भगवान सहाय यादव धानोता अप्रार्थी अधिवक्ता निर्मल कुमार जैन हाजिर। अप्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पर जवाब देने की अपेक्षा सीधे बहस करना चाहते प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 23/4/24 को पेश हो। BG	[illegible]
23/4/24	प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर आदेश हेतु पेश हुई है। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। उभय पक्षों की बहस पर [illegible] करने से पत्रावली BG	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3537 रकबा 0.11 हे० 3537/12006 रकबा 0.07 हे०, 3542 रकबा 0.34 हे० 3542/12005 रकबा 0.04 हे० 4936/1 रकबा 0.38 हे० ख.नं. 4966 रकबा 0.08 हे०, ख.नं. 4946 रकबा 0.38 हे० 4945 रकबा 0.10 हे०, 4946/2 रकबा 0.38 हे०, 4947 रकबा 0.17 हे० ख.नं. 4948 रकबा 0.36 हे०, 4949/2 रकबा 0.06 हे० 4950/2 रकबा 0.11 हे०, 4953/2 रकबा 0.06 हे., ख.नं. 4943 रकबा 0.07 हे आर्ज पाकर पूर्व मे चारागाह ग्रामीणों एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त अविभाजित

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

पत्रावली संख्या /वर्ष : ____________ /20 ________

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	भूमि है। अतः इस वाद के अंतिम निस्तारण तक विवादित भूमि को संरक्षित रखना वाद बहुलता को रोकने के लिए आवश्यक है। अतः तकसीम वाद अधीन विवादित भूमि पर उभय पक्षों को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु इस आदेश से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि पर कोई नवीन निर्माण कार्य नहीं करेंगे, विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा लेने का प्रयास नहीं करेंगे। इस वाद की दायरी से पूर्व आवास हेतु बने निर्माण की मरम्मत/रंगरोगन की अनुमति रहेगी। पत्रावली फैसल शुदा पेश हो दाखिल दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी

(जयपुर)